

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक १३३ / मीरजापुर / ३३ दिनांक— अगस्त, २६ २०२१.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, / नोडल अधिकारी,
उ० प्र० लखनऊ ।

विषय— जनपद सोनमद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि० द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज संख्या ०.०० से ६१.५० तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित ३४.६७२५ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक १११४ वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित १०.६२ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक १९४ वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित ४५.२९२५ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व बाधक १३०८ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— आपका पत्रांक—३१४/११—सी—एफ०पी०/यू०पी०/रोड/ ५९४५८/ २०२० दिनांक—२८.०७.२०२१.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक—२८.०७.२०२१ द्वारा विषयक प्रकरण में कैमूर वन्य जीव प्रभाग से संबंधित ०९ बिन्दु एवं ओबरा वन प्रभाग से संबंधित ०७ बिन्दु पर कमियों का उल्लेख करते हुए, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित समेकित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्रांक—५००/ओबरा/३३ दिनांक—२६.०८.२०२१ द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग एवं ओबरा वन प्रभाग की उल्लिखित बिन्दु के आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव एवं उल्लिखित बिन्दु की आख्या निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया है:—

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर		
क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
१	२	३
१	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न है, किन्तु निरीक्षण प्रमाण—पत्र में वनभूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि अंकित है, जो कि गलत है तथा क्षेत्रफल भी गलत अंकित किया गया है। अतः सही वैधानिक स्थिति एवं क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें तथा आनलाईन भाग-२ में से पूर्व का डिलिट कर अपलोड करें।	संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या १६१ पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-२ में अपलोड भी कर दिया गया है।

f

— 2 —

2	प्रस्ताव में बाधक 194 वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु आनलाईन भाग-2 के क्रमांक 4(ii) में 196 वृक्षों को अपलोड किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही वृक्षों की संख्या आनलाईन भाग-2 के क्रमांक 4(ii) में अपलोड करें।	सही वृक्षों की संख्या आन लाईन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वन भूमि अंकित है, जो कि गलत है तथा एन0पी0वी0 की गणना गलत है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन अपलोड करें।	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 91-93 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
4	आनलाईन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड किया गया प्राक्कलन किसी अन्य प्रस्ताव का अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे आनलाईन भाग-2 से डिलिट कर प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुस्क्षण सहित पूर्ण प्राक्कलन आनलाईन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सही एवं पूर्ण प्राक्कलन आन लाईन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
5	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु Geo Referenced Digital Map पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन भाग-2 के क्रमांक 13(ii) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 215-220 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
6	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित SoI Toposheet संलग्न है, किन्तु SoI Toposheet पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक व लीजेण्ड अंकित कर संशोधित SoI Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन भाग-2 के क्रमांक 13(iii) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सही शीर्षक अंकित कर संशोधित SoI Toposheet प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 226-228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
7	गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 35-44 पर संलग्न कर दिया गया है।
8	आन लाईन भाग-2 व हार्ड कॉपी भाग-2 के District Profile में विवरण भिन्न-भिन्न फीड किया गया है। जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही विवरण फीड करें।	आन लाईन भाग-2 में District Profile सही फीड कर दिया गया है।
9	आन लाईन पार्ट-1 एवं आन लाईन पार्ट-2 में अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण गैर वन भूमि का Geo Referenced Digital Map व SoI Toposheet डिलिट	संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 215-220 पर तथा SoI Toposheet प्रस्ताव के

	कर उपरोक्तानुसार संशोधित Geo Referenced Digital Map व Sol Toposheet अपलोड करें तथा उसी को ही प्रस्ताव में संलग्न करें।	पृष्ठ संख्या 226-228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
	ओबरा वन प्रभाग	
1	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है किन्तु लागत लाभ विश्लेषण में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि अंकित है, जो कि गलत है तथा एन0पी0वी0 की गणना गलत है। अतः संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन अपलोड करें।	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 91-93 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
2	आनलाईन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में आधा अधूरा प्राक्कलन अपलोड किया गया है। जोकि गलत है। अतः पूर्ण प्राक्कलन आन लाईन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सही एवं पूर्ण प्राक्कलन आन लाईन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु Geo Referenced Digital Map पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन भाग-2 के क्रमांक 13(ii) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 215-220 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Sol Toposheet संलग्न है, किन्तु Sol Toposheet पर शीर्षक व लीजेण्ड गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक व लीजेण्ड अंकित कर संशोधित Sol Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन भाग-2 के क्रमांक 13(iii) में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Sol Toposheet प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 226-228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आनलाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
5	आन लाईन भाग-2 के District Profile में जिले का वन क्षेत्रफल गलत फीड किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही क्षेत्रफल आन लाईन भाग-2 के District Profile में फीड करें।	आन लाईन भाग-2 में District Profile सही फीड कर दिया गया है।
6	आन लाईन पार्ट-1 एवं आन लाईन पार्ट-2 में अपरलोड किया गया त्रुटिपूर्ण गैर वन भूमि का Geo Referenced Digital Map व Sol Toposheet डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित Geo Referenced Digital Map व Sol Toposheet अपलोड करें तथा उसी को ही प्रस्ताव में संलग्न करें।	संशोधित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 215-220 पर तथा Sol Toposheet प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 226-228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड भी कर दिया गया है।
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 4.2263 हे० गैर वन भूमि के Geo Referenced Digital Map एवं Sol Toposheet में गाटा संख्या 416क के स्थान पर 416 ही अंकित किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है।	संशोधित Geo Referenced Digital Map व Sol Toposheet प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 218 व 228 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भी अपलोड कर

अतः सही गाटा संख्या 416क अंकित कर संशोधित Geo Referenced Digital Map एवं Sol Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	दिया गया है।
--	--------------

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा उपरोक्त बिन्दू की कमियो का निराकरण करते हुए
प्रेषित संशोधित प्रस्ताव को तीन प्रतियों में एतदसह संलग्नकर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(रमेश चन्द्र झा) 26/08

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 932 अ/सम दिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर को
संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 26/08

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

मुख्य वन संरक्षक
Chinkar
28/08/2021
28/08/2021
28/08/2021

